गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ0ग0)
[A Central University Established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009]
Phone No. 07752 - 260381 , Fax No. 07752 260148 , Website www..ggu.ac.in

क्र 23 /भंडार/2015 बिलासपुर, दिनांक 22.5.15

प्रति,

M/s Base Systems Pvt. Ltd.
#5, "Sir Maruthi chamber" 1st Floor, 1st Main Road,
Thimmaiah Garden, R.T. Nagar,
Banglore-560-032, India

विषय :–सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी को राजसात करते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय के साथ व्यापार से प्रतिबंधित करने बाबत्।

संदर्भ :–1 विश्वविद्यालय क्रय आदेश क्रमांक 869 दिनांक 12.01.2013
2 विश्वविद्यालय क्रय आदेश क्रमांक 1217 दिनांक 21.03.2013
3 विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 4133 दिनांक 22.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको अवगत कराना है कि संदर्भित क्रय आदेशों, द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा प्रतिस्थापित करने हेतु क्रय आदेश निर्गत किये गये थे। आपके द्वारा संदर्भित क्रय आदेशों में उल्लेखित शर्तों के अधीन सीसीटीवी कैमरों एवं DVR का प्रतिस्थापन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है। निर्गत क्रय आदेशों की शर्तों में आपूर्ति किये गये सामग्रियों की वारंटी अवधि दो वर्ष की है। पत्र, ई–मेल के माध्यम से बार–बार उपकरण सुधरवाने हेतु निवेदन किया गया था। परंतु आज दिनांक तक आपके द्वारा खराब उपकरणों को सुधरवाने का कार्य नही किया गया है। उपकरणों को आपके द्वारा ठीक न कराया जाना निविदा शर्तों एव क्रय आदेश में उल्लेखित शर्तों के पैरा– 03 का खुला उल्लंघन है।

ऐसी स्थिति में निविदा तथा क्रय आदेशों में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन के कारण तथा वारंटी अवधि में उपकरणों को ठीक नही किये जाने के कारण एवं विश्वविद्यालय पत्र दिनांक 22.12.2014 का कोई उत्तर नही देने के कारण M/s Base Systems Pvt. Ltd. Banglore-560-032, India के द्वारा जमा Security Money/Bank Guarranty को राजसात करते हुए उक्त फर्म को भविष्य में विश्वविद्यालय के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र.24 भंडार/2015 बिलासपुर, दिनांक 22.5.15

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति जी के निज सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ
3. वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष, CSIT विभाग की ओर वि.वि. वेबपटल पर जारी किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

CSIT/3413 28/7/15

22/7/15

सहा–कुलसचिव (भंडार)